स्पेशल टास्क फोर्स, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प्रेस नोट संख्याः 270 दिनांक 04—09—2021

अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 665 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (अनुमानित मूल्य लगभग 80 लाख रू०) बरामद।

दिनॉक—04.09.2021 को एस0टी0एफ0, उ0प्र0 को अन्तर्राज्यीय स्तर पर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के 02 सदस्यों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 665 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (ROYAL PARTY MALT WHISKY) बरामद करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

<u>गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण :-</u>

1— गुरमीत सिंह पुत्र निरमल सिंह, निवासी बड़ाली एस0ए0एस0 नगर, सास नगर, पंजाब। (चालक)

2— मनप्रीत सिंह पुत्र मनमोहन सिंह, निवासी म0नं0—908 वार्ड नं0—दशमेश कालोनी, एस0बी0एस0 नगर, पंजाब।

<u>बरामदगी :-</u>

1— 665 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब (लगभग 5985 लीटर, बाजार मूल्य लगभग 80 लाख रूपये)।

2— 01 अदद अशोक लीलैण्ड डीसीएम कूटरचित नं0 यू0पी0—68 बी0सी0—1440 वास्तविक नम्बर प्लेट—पी0बी0—65 ए0एस0—0142।

3— 03 अदद मोबाइल।

4— 01 अदद आधार कार्ड।

5— नकद 2430/— रूपये।

<u>गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय</u>

ककरही रेलवे क्रासिंग से 50 मीटर पहले, गोपीगंज, भदोही, दिनांक 04.09.2021 समय 00:15 AM।

विगत काफी समय से सूचना प्राप्त हो रही थी कि अन्तर्राज्यीय गिरोहों द्वारा दिल्ली, पंजाब व हरियाणा से अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार प्रान्त के विभिन्न जनपदों में की जा रही है। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों को अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देश के क्रम में श्री नवेन्दु कुमार, पुलिस उपाधीक्षक, एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के नेतृत्व में फील्ड इकाई, प्रयागराज टीम द्वारा अवैध अंग्रेजी शराब की तस्करी करने वाले अन्तर्राज्यीय गिरोहों के विरूद्ध अभिसूचना संकलन की कार्यवाही की जा रही थी।

दिनॉक—03.09.2021 को एस0टी0एफ0 फील्ड इकाई, प्रयागराज के उ0नि0 श्री रणेन्द्र कुमार सिंह, मु0आरक्षी राजेश कुमार, अभिषेक मिश्रा, आरक्षी किशन चन्द्र, दिलीप सिंह व आरक्षी चालक रविकान्त सिंह की टीम जनपद भदोही में आपराधिक अभिसूचना संकलन में व्यस्त थी इसी दौरान सूचना मिली कि शराब तस्करों द्वारा पंजाब प्रान्त से अवैध अंग्रेजी शराब विक्रय हेतु

वाराणसी के रास्ते होते हुए नेशनल हाईवे से बिहार प्रान्त ले जाया जा रहा है इस सूचना पर विश्वास कर उक्त टीम के सदस्य व स्थानीय पुलिस को सहयोगार्थ साथ लेकर तत्काल ज्ञात स्थान पर पहुँचकर वाहन का इन्तजार करने लगे। थोड़ी देर बाद यू0पी0–68 बी0सी0–1440 नम्बर की गाड़ी आती हुई दिखाई दी। उक्त वाहन को ककरही रेलवे क्रासिंग से 50 मीटर पहले रोककर चेक किया गया तो अवैध शराब से लदे डीसीएम ट्रक व 02 अभियुक्तों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया, जिनसे उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्तों से विस्तृत पूछताछ पर उन्होंने बताया कि यह अवैध अंग्रेजी शराब जिरखपुर मोहाली पंजाब से नवदीप सिंह उर्फ नवी ग्रेवाल उर्फ लकी सिंह व जसवन्त सिंह ने बिहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर तक पहुँचाने के लिए भेजा था तथा बताया गया था कि मुजफ्फरपुर अवैध शराब की तस्करी करने वाले गिरोह के कुछ लोग तुम लोगों से सम्पर्क करके स्वयं इस अवैध शराब को अपने अड्डे तक लेकर जायेंगे। स्थानीय तस्करों के सम्बन्ध में जानकारी करने पर पकड़े गये अभियुक्तों ने बताया कि अवैध शराब भेजने वाले लकी सिंह व जसवन्त सिंह तथा स्थानीय शराब तस्करों में दूरभाष के जरिये वाट्सअप पर सीधे वार्ता हो रही थी इसलिए स्थानीय तस्करों के बारे इन्हें जानकारी नहीं है। इस काम के एवज में गिरफ्तार अभियुक्तों को खाने–पीने इत्यादि खर्चे के अलावा 15 से 20 हजार रूपये प्रति चक्कर तस्करों से मिल जाते है। ज्यादा पैसों के लालच में आकर अवैध अंग्रेजी शराब को ट्रकों व अन्य वाहनों में भरकर विभिन्न प्रान्तों में पहुँचाने का काम पिछले काफी समय से इस गिरोह के साथ मिलकर कर रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तों को थाना गोपीगंज, जनपद भदोही में दाखिल करके मु0अ0सं0–240/2021 धारा–419/420/467/468/471 भादवि व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कराया गया है। अग्रिम विधिक कार्यवाही स्थानीय पुलिस द्वारा की जा रही है।